न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 137 /2025 राजस्व वाद

01. श्री भवर आत्मज श्री नारायण जी गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी रतनपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा (राज०)

02. श्री मेवा आत्मज श्री नारायण जी गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी रतनपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा (राज०) —— वादीगण

बनाम

01. श्री नारायण पुत्र स्व. कालु जी गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी रतनपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा (राज०)

02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेडा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा (राज०)

03. उपपंजीयक महोदय करेडा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा (राज०) —— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1. श्री बन्नु सिंह चुण्डावत —अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 01 —प्रतिवादी संख्या 02 स्वय उपस्थित
3. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 02

दिनांक— 08.09.2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती का अन्तर्गत धारा 88,89,92—क,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम रतनपुरा, पटवार हल्का निम्बाहेडा जाटान द्वितीय, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेडा जाटान, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा (राज०) की सरहद में जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 19 में आराजी संख्या 880 / 624 रकबा 1.0117 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है, इसी प्रकार ग्राम रतनपुरा, पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान द्वितीय, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेडा जाटान, तहसील करेडा, जिला भीलवाड़ा (राज०) की सरहद में जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 146 में आराजी संख्या 546 / 1 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, आराजी संख्या 555 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल कीता 02 कुल रकबा 0.0759 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर सयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है जिसमें केशु का 1 / 16 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार खाता संख्या 63 में आराजी संख्या 506 रकबा 0.0379 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है, जिसमें केशु का 1 / 8 हक हिस्सा निहित

है, इसी प्रकार खाता संख्या 61 में आराजी संख्या 552/1 रकबा 0. 0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 554/1 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, आराजी संख्या 555/1 रकबा 0.5185 हैक्टेयर कुल कीता 03 कुल रकबा 0.6955 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है, जिसमें केशु का 1/4 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार खाता संख्या 145 में आराजी संख्या 544 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 545/1 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, कुल कीता 02 कुल रकबा 0.0505 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है, जिसमें केशु का 1/12 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार खाता संख्या 64 में आराजी संख्या 502 रकबा 0.2276 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है, जिसमें केशु का 1/8 हक हिस्सा निहित है. इसी प्रकार खाता संख्या 65 में आराजी संख्या 536 रकबा 0.3415 हैक्टेयर, आराजी संख्या 537/1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, आराजी संख्या संख्या 537 रकबा 1.1382 हैक्टेयर, आराजी संख्या 540/2 रकबा 0.7588 हैक्टेयर, आराजी संख्या 541 540/1 रकबा 0.4173 हैक्टेयर, आराजी संख्या 536/2 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, आराजी रकबा 0.8726 हैक्टेयर, कुल कीता 07 कुल रकबा 3.8698 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है, जिसमें केशु का 1/4 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार खाता संख्या 62 में आराजी संख्या 503 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी संख्या 507 रकबा 0.9991 हैक्टेयर, आराजी संख्या 508 रकबा 0.5311 हैक्टेयर, आराजी संख्या 509 रकबा 0.2150 हैक्टेयर कुल कीता 04 कुल रकबा 2.0993 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है, जिसमें केशु का 1/4 हक हिस्सा निहित है। इसी प्रकार खाता संख्या 60 में आराजी संख्या 557/2 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 808/618 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल कीता 02 कुल रकबा 0.9232 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है, जिसमें केशु का 1/3 हक हिस्सा निहित है। खातेदार स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर का निधन दिनांक 27/04/2021 को हो गया है। वादीगण स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर के भाई के पुत्र है तथा वादीगण ही श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर की सेवा चाकरी करते चले आ रहे थे तथा स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर ने वादीगण की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर ने एक अंतिम इच्छापत्र वादीगण के पक्ष में दिनांक 23/03/2013 को दो गवाहो की उपस्थिति में निष्पादित कर नोटरी पब्लिक से दिनांक 31/12/2013 को प्रमाणित करवाया है तथा वादीगण स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर के जीवन काल में ही स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर के साथ समस्त कृषि आराजियात व जायदाद पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त तनहा वादीगण स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर की वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित समस्त कृषि आराजियात एवं उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर बिना किसी बाधा एवं रूकावट के काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर ने वादीगण की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर ने एक अंतिम इच्छापत्र वादीगण के पक्ष में दिनांक 23/03/2013 को दो गवाहो की उपस्थिति में निष्पादित कर नोटरी पब्लिक से दिनांक 31/12/2023 को प्रमाणित करवाया है जिसमें यह अंकन कि मेरी मृत्यु के पश्चात वादीगण उक्त आराजियात एवं उसकी समस्त चल व अचल सम्पतियो को अपने नाम पर करवाने का अधिकारी होगे। हिन्दु विधि अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु से पूर्व किसी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत / अंतिम इच्छापत्र निष्पादित कर देता है तो

है, इसी प्रकार खाता सख्या 61 मे आराजी साख्या 552/1 रकवा 0. 0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 554/1 रकवा 0.1391 हैक्टेयर, आराजी सख्या 555/1 रकवा 0.5185 हैक्टेयर कुल कीता 03 कुल रकवा 0.6955 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर सयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है, जिसमे केशु का 1/4 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार खाता सख्या 145 मे आराजी सख्या 544 रकवा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी सख्या 545/1 रकवा 0.0126 हैक्टेयर, कुल कीता 02 कुल रकवा 0.0505 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर सयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है, जिसमें केशु का 1/12 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार खाता सख्या 64 मे आराजी संख्या 502 रकवा 0.2276 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर सयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है, जिसमें केशु का 1/8 हक हिस्सा निहित है. इसी प्रकार खाता संख्या 65 में आराजी सख्या 536 रकवा 0.3415 हैक्टेयर, आराजी संख्या 536/2 रकवा 0.0885 हैक्टेयर, आराजी संख्या 537 रकवा 1.1382 हैक्टेयर, आराजी संख्या 537/1 रकवा 0.2529 हैक्टेयर, आराजी संख्या 540/2 रकवा 0.7588 हैक्टेयर, आराजी संख्या 541 540/1 रकवा 0.4173 हैक्टेयर, आराजी संख्या 540/2 रकवा 0.7588 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रकवा 0.8726 हेक्टेयर, कुल कीता 07 कुल रकवा 3.8698 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है, जिसमें केशु का 1/4 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार खाता संख्या 62 में आराजी संख्या 503 रकवा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी संख्या 507 रकवा 0.9991 हैक्टेयर, आराजी संख्या 508 रकवा 0.5311 हैक्टेयर, आराजी संख्या 509 रकवा 0.2150 हैक्टेयर कुल कीता 04 कुल रकवा 2.0993 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है, जिसमें केशु का 1/4 हक हिस्सा निहित है। इसी प्रकार खाता संख्या 60 में आराजी संख्या 557/2 रकवा 0.8600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 808/618 रकवा 0.0632 हैक्टेयर कुल कीता 02 कुल रकवा 0.9232 हैक्टेयर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के काका स्व. श्री केशु पुत्र कालु जी गुर्जर के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड होकर है, जिसमें केशु का 1/3 हक हिस्सा निहित है। खातेदार स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर का निधन दिनांक 27/04/2021 को हो गया है। वादीगण स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर के भाई के पुत्र है तथा वादीगण ही श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर की सेवा चाकरी करते चले आ रहे थे तथा स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर ने वादीगण की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर ने एक अंतिम इच्छापत्र वादीगण के पक्ष में दिनांक 23/03/2013 को दो गवाहो की उपस्थिति में निष्पादित कर नोटरी पब्लिक से दिनांक 31/12/2013 को प्रमाणित करवाया है तथा वादीगण स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर के जीवन काल में ही स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर के साथ समस्त कृषि आराजियात व जायदाद पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त तनहा वादीगण स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर की वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित समस्त कृषि आराजियात एवं उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर बिना किसी बाधा एवं रूकावट के काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर ने वादीगण की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर ने एक अंतिम इच्छापत्र वादीगण के पक्ष में दिनांक 23/03/2013 को दो गवाहो की उपस्थिति में निष्पादित कर नोटरी पब्लिक से दिनांक 31/12/2023 को प्रमाणित करवाया है जिसमें यह अंकन कि मेरी मृत्यु के पश्चात वादीगण उक्त आराजियात एवं उसकी समस्त चल व अचल सम्पतियो को अपने नाम पर करवाने का अधिकारी होगे। हिन्दु विधि अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु से पूर्व किसी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत / अंतिम इच्छापत्र निष्पादित कर देता है तो

जिस व्यक्ति के पक्ष में वसयीत /अंतिम इच्छापत्र निष्पादित किया गया है वह उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका पूर्ण स्वामी हो जाता है तथा स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर ने उपरोक्त अंतिम इच्छापत्र सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर दो गवाहो की उपस्थिति में वादीगण के पक्ष में निष्पादित किया है, जिसकी प्रति वादपत्र के साथ पेश है। वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात में वादीगण अंतिम इच्छापत्र के आधार पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रही है तथा स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर की मृत्यु के उपरान्त वादीगण ने वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात का नामान्तकरण अंतिम इच्छापत्र के आधार पर वादीगण ने अपने नाम पर खुलवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 02 के अधिनस्थ कर्मचारियो से निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 02 के अधिनस्थ कर्मचारियो ने आज दिवस तक वादग्रस्त आराजियात का नामान्तकरण स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर द्वारा निष्पादित अंतिम इच्छापत्र के आधार पर वादीगण के नाम पर नहीं खोला और अब प्रतिवादी संख्या 01 उक्त वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात का नामान्तकरण अपने नाम पर खुलवाने हेतु आमादा हो रहा है, जिसका की प्रतिवादी संख्या 01 को कोई वैधानिक हक व अधिकार नही है। वादीगण अंतिम इच्छापत्र के अनुसार वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात पर एवं स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर की समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियो पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा दिनांक 01/09/2024 को प्रतिवादी संख्या 01 उक्त वादग्रस्त जायदाद पर आया और वादीगण के साथ गाली गलौच करते हुये लडाई झगडा किया ओर प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण को धमकी दी कि मैं स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर का जाईदा पुत्र हूँ और स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर की जायदाद मुझे विरासतीय हक अधिकार से प्राप्त होने वाली है और मैं तुम्हे उक्त जायदाद से जबरन बेदखल कर राजस्व कर्मचारियो मिलकर स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर की समस्त आराजियात का नामान्तकरण अपने नाम पर खुलवाकर उक्त जायदाद को अन्य लोगो को विक्रय रहन बय बख्शीस द्वारा हस्तान्तरित कर दूंगा, इस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 को स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर द्वारा निष्पादित अंतिम इच्छापत्र की फोटोप्रति दी और कहा कि उक्त आराजियात पर हम स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर के जीवनकाल से काबिज है और, स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर ने अपनी जीवनकाल में उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्तियो के बाबत् अंतिम इच्छापत्र हमारे पक्ष में निष्पादित किया है तथा स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर की मृत्यु के उपरान्त वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात वसीयत के आधार पर वादीगण के हक अधिकार निहित हुई है एवं वादीगण वसीयत के आधार पर वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजियात में से स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर के हक हिस्से की आराजियात को अपने नाम पर अंतिम इच्छापत्र के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने की एवं वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होने की कानूनन अधिकारी होने से वादीगण को वादपत्र की चरण संख्या 01 वर्णित वादग्रस्त आराजियात में स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर के हक हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है तथा इसी अनुसार वादीगण के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। प्रतिवादी संख्या 01 वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर के हक हिस्से की आराजियात को अपने नाम पर राजस्व अभिलेख में अंकन करवाना चाहता है, जिसका की उसे कोई वैधानिक अधिकारी नही है, क्योंकि स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर ने वादीगण की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियो के वावत् वादीगण के पक्ष में अंतिम इच्छापत्र निष्पादित किया है तथा वादीगण ने स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर की सेवा चाकरी उसके जीवन काल मे की एवं स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर की मृत्यु के वाद स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर का समस्त सामाजिक कियाकर्म एवं कार्यक्रमो का खर्च भीश वादीगण ने वहन किया है, फिर भी प्रतिवादी सख्या 01 वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर के हक हिस्से की जायदाद को तनहा

अपने नाम पर करवाकर वादीगण को उक्त जायदाद से बेदखल कर उक्त जायदाद को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहा है. इसलिये इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री हासिल करना न्यायहित मे आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजियात में स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर के हक हिस्से का नामान्तकरण अपने नाम पर खुलवाकर उक्त आराजियात को अन्य किसी भी दिगर व्यक्तियो विक्रय, रहन बय बख्शीस एव अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरण नही करे तथा वादीगण के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न नही करे तथा न ही किसी अन्य से करावे तथा वादीगण को उक्त आराजियात का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे प्रतिवादी संख्या 02 वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात का नामान्तकरण वादीगण के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम पर नहीं खोले एवं वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात के बाबत् प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किसी भी प्रकार का अन्तरण हेतु दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 03 के यहाँ पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 03 उसका पंजीयन नहीं करे एवं प्रतिवादी संख्या 02 राजस्व रेकॉर्ड मे परिवर्तन नही करे एवं यदि दौराने विचारण वाद व वाद विचारण में लगे समय में प्रतिवादी संख्या 01 स्व. श्री केशु पुत्र कालु गुर्जर के हक हिस्से की आराजियात का नामान्तकरण अपनेया अन्य किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द कर वादीगण को जबरन बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के वादपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति राजस्व रेकॉर्ड की अवस्थित करायी जाकर ऐसे दस्तावेजो को अवैध, शुन्य प्रभावी करवाया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द करवाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित होकर सहमत होना जाहिर कियागया वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य मे अपना स्वयं का मौतबीरान व्यक्तियो के शपथपत्र भी पेश किये गये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज पेश किये गये, जो प्रदर्शित किये गये।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए केशु पुत्र श्री कालू गुर्जर के हक हिस्से की भूमि वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार खातेदार केशु पुत्र श्री कालू गुर्जर द्वारा अपनी कृषि आराजियात जो कि वादीगण को अपनी स्वेच्छा से दिनांक 31/12/2013 को निष्पादित की है व खातेदार केशु पुत्र श्री कालू गुर्जर का दिंनाक 27/04/2021 को देहान्त हो चुका है। वादीगण जो कि वसीयत के आधार पर मालिक है। अतः वादीगण जो कि खातेदार केशु पुत्र श्री कालू गुर्जर के हक हिस्से के वादीगण को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर ग्राम रतनपुरा, पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज०) की सरहद में जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 19 में आराजी संख्या 880/624 रकबा 1.0117 हैक्टेयर खाता संख्या नया 146 में आराजी संख्या 546/1 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, आराजी संख्या 555 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल कीता 02 कुल रकबा 0.0759 हैक्टेयर खाता संख्या 63 में आराजी संख्या 506 रकबा 0.0379 हैक्टेयर खाता संख्या 61 में आराजी संख्या 552/1 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 554/1 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, आराजी संख्या 555/1 रकबा 0.5185

हैक्टेयर कुल कीता 03 कुल रकवा 0.6955 हैक्टेयर , खाता संख्या 145 में आराजी संख्या 544 रकवा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 545/1 रकवा 0.0126 हैक्टेयर, कुल कीता 02 कुल रकवा 0.0505 हैक्टेयर खाता संख्या 64 में आराजी संख्या 502 रकवा 0.2276 हैक्टेयर खाता संख्या 65 में आराजी संख्या 536 रकवा 0.3415 हैक्टेयर, आराजी संख्या 536/2 रकवा 0.0885 हैक्टेयर, आराजी संख्या 537 रकवा 1.1382 हैक्टेयर, आराजी संख्या 537/1 रकवा 0.2529 हैक्टेयर, आराजी संख्या 540/1 रकवा 0.4173 हैक्टेयर, आराजी संख्या 540/2 रकवा 0.7588 हैक्टेयर, आराजी संख्या 541 रकवा 0.8726 हैक्टेयर, कुल कीता 07 कुल रकवा 3.8698 हैक्टेयर खाता संख्या 62 में आराजी संख्या 503 रकवा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी संख्या 507 रकवा 0.9991 हैक्टेयर, आराजी संख्या 508 रकवा 0.5311 हैक्टेयर, आराजी संख्या 509 रकवा 0.2150 हैक्टेयर कुल कीता 04 कुल रकवा 2.0993 हैक्टेयर खाता संख्या 60 में आराजी संख्या 557/2 रकवा 0.8600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 808/618 रकवा 0.0632 हैक्टेयर कुल कीता 02 कुल रकवा 0.9232 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे खातेदार केशु पुत्र श्री कालू गुर्जर के हक हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम दर्ज करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 137 / 2025 राजस्व वाद

03. श्री भंवर आत्मज श्री नारायण जी गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी रतनपुरा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज०)

04. श्री मेवा आत्मज श्री नारायण जी गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी रतनपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाड़ा (राज०)

—— वादीगण

बनाम

01. श्री नारायण पुत्र स्व. कालु जी गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी रतनपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा (राज०)

02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेडा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज०)

03. उपपंजीयक महोदय करेड़ा, तहसील करेडा, जिला भीलवाड़ा (राज०)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

——

वादीगण की ओर से श्री वन्दु सिह चुण्डावत एडवोकेट और प्रतिवादी सख्या 01 एवं प्रतिवादी सख्या 02 की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनाक 08.09.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **शून्य** को दी जाये।

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर ग्राम रतनपुरा, पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेडा जाटान, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज०) की सरहद मे जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 19 मे आराजी सख्या 880 / 624 रकबा 1.0117 हैक्टेयर खाता संख्या नया 146 मे आराजी सख्या 546 / 1 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, आराजी सख्या 555 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल कीता 02 कुल रकबा 0.0759 हैक्टेयर खाता सख्या 63 मे आराजी संख्या 506 रकबा 0.0379 हैक्टेयर खाता संख्या 61 में आराजी संख्या 552 / 1 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 554 / 1 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, आराजी संख्या 555 / 1 रकबा 0.5185

हैक्टेयर कुल कीता 03 कुल रकबा 0.6955 हैक्टेयर , खाता संख्या 145 में आराजी संख्या 544 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 545/1 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, कुल कीता 02 कुल रकबा 0.0505 हैक्टेयर खाता संख्या 64 में आराजी संख्या 502 रकबा 0.2276 हैक्टेयर खाता संख्या 65 में आराजी संख्या 536 रकबा 0.3415 हैक्टेयर, आराजी संख्या 536/2 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, आराजी संख्या 537 रकबा 1.1382 हैक्टेयर, आराजी संख्या 537/1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, आराजी संख्या 540/1 रकबा 0.4173 हैक्टेयर, आराजी संख्या 540/2 रकबा 0.7588 हैक्टेयर, आराजी संख्या 541 रकबा 0.8726 हैक्टेयर, कुल कीता 07 कुल रकबा 3.8698 हैक्टेयर खाता संख्या 62 में आराजी संख्या 503 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी संख्या 507 रकबा 0.9991 हैक्टेयर, आराजी संख्या 508 रकबा 0.5311 हैक्टेयर, आराजी संख्या 509 रकबा 0.2150 हैक्टेयर कुल कीता 04 कुल रकबा 2.0993 हैक्टेयर खाता संख्या 60 में आराजी संख्या 557/2 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 808/618 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल कीता 02 कुल रकबा 0.9232 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे खातेदार केशु पुत्र श्री कालू गुर्जर के हक हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम दर्ज करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

(राज0) का सरहद में
...म्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 146 में आराजी

हैक्टेयर कुल कीता 03 कुल रकबा 0.6955 हैक्टेयर , खाता संख्या 145 में आराजी संख्या 544 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 545/1 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, कुल कीता 02 कुल रकबा 0.0505 हैक्टेयर खाता संख्या 64 में आराजी संख्या 502 रकबा 0.2276 हैक्टेयर खाता संख्या 65 में आराजी संख्या 536 रकबा 0.3415 हैक्टेयर, आराजी संख्या 536/2 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, आराजी संख्या 537 रकबा 1.1382 हैक्टेयर, आराजी संख्या 537/1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, आराजी संख्या 540/1 रकबा 0.4173 हैक्टेयर, आराजी संख्या 540/2 रकबा 0.7588 हैक्टेयर, आराजी संख्या 541 रकबा 0.8726 हैक्टेयर, कुल कीता 07 कुल रकबा 3.8698 हैक्टेयर खाता संख्या 62 में आराजी संख्या 503 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी संख्या 507 रकबा 0.9991 हैक्टेयर, आराजी संख्या 508 रकबा 0.5311 हैक्टेयर, आराजी संख्या 509 रकबा 0.2150 हैक्टेयर कुल कीता 04 कुल रकबा 2.0993 हैक्टेयर खाता संख्या 60 में आराजी संख्या 557/2 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 808/618 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल कीता 02 कुल रकबा 0.9232 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे खातेदार केशु पुत्र श्री कालू गुर्जर के हक हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम दर्ज करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)